

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

दूरभाष नं०:- 01501226005

मुकाम श्रीकरणपुर  
ईमेल- sdo.srikanpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/126

दिनांक :- 24.02.2025

तहसीलदार (राजस्व),  
श्रीकरणपुर।

**विषय:-**प्रकरण संख्या 10/2024 अनवान गुरतेज सिंह आदि  
बनाम कमलजीत कौर आदि अन्तर्गत धारा 251 ए  
आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2025 के संबंध  
में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक की पश्चिम दिशा के साथ-साथ 0.019-0.019 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 20, 21 की कुल 0.038 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।



{श्योराम (आर.ए.एस)}  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर श्रीगंगानगर